



2026: AHC:57005

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध अग्रिम जमानत आवेदन अन्तर्गत धारा 482 बीएनएसएस संख्या -

2004 सन् 2026

आफताब अहमद

.....आवेदक(आवेदकों)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य

.....विपक्षी पक्षकार(पक्षकारों)

आवेदक(आवेदकों) के अधिवक्ता

: अजय कुमार श्रीवास्तव, अलकेश्वर कुमार सिंह

विपक्षी पक्षकार(पक्षकारों) के अधिवक्ता

: जी.ए.

न्यायालय संख्या - 72

माननीय न्यायमूर्ति, जितेंद्र कुमार सिन्हा

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता, श्री अलकेश्वर कुमार सिंह और राज्य के विद्वान ए.जी.ए., श्री मनोज गौतम को सुना और अभिलेख का अवलोकन किया।
2. वर्तमान आवेदन मामला संख्या 35 सन् 2025, भा0द0सं0 की धारा 409, 420, 467, 468, 471 के अन्तर्गत, थाना रौनापार, जिला आजमगढ़ में अग्रिम जमानत के लिए दायर किया गया, जिसमें यह प्रार्थना की गई है कि गिरफ्तारी की स्थिति में आवेदक को जमानत पर रिहा किया जाए।
3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि सह-आरोपी शेर मोहम्मद को इस न्यायालय द्वारा दिनांक 17.2.2026 के आदेश द्वारा अग्रिम जमानत आवेदन संख्या 1596 सन् 2026 में अग्रिम जमानत दी जा चुकी है। यह भी निवेदन किया गया है कि अन्य सह-आरोपियों को भी अग्रिम जमानत दी जा चुकी है। आवेदक विचारण के दौरान सहयोग करने और अन्वेषण एजेंसी या न्यायालय द्वारा आवश्यकता पड़ने पर उपस्थित होने का वचन देता है और यदि उसे अग्रिम जमानत दी जाती है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा और जमानत की सभी शर्तों का पालन करेगा।
4. दूसरी ओर, विद्वान ए.जी.ए. ने अग्रिम जमानत के प्रार्थना का विरोध करते हुए कहा कि आरोपियों ने 1,86,00,000/- रुपये का गबन किया है। उन्होंने आगे कहा कि गबन में मुख्य भूमिका सह-आरोपी कलामुद्दीन की बताई गई है।

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



5. उत्तर में, आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने कहा कि आवेदक मदरसे में संविदा के आधार पर कार्यरत शिक्षक हैं। इसलिए, वे किसी भी गबन के लिए जिम्मेदार नहीं हैं।

6. मैंने दोनों पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा दिए गए परस्पर विरोधी तर्कों पर विचार किया।

7. प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार, आरोपियों ने मदरसे के जीर्णोद्धार के बहाने 1,86,000/- रुपये का गबन किया है। इसमें मुख्य भूमिका सह-आरोपी कलामुद्दीन की बताई गई है। सह-आरोपी शेर मोहम्मद को इस न्यायालय द्वारा अग्रिम जमानत दी जा चुकी है।

8. यह उल्लेख किया जा सकता है कि सिद्धाराम सतलिंगप्पा म्हेत्रे बनाम महाराष्ट्र राज्य, (2011) 1 एससीसी 694, के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया गया है कि अग्रिम जमानत पर निर्णय करते समय न्यायालय को आरोप की प्रकृति और गंभीरता, आरोपी का पूर्ववृत्त, आरोपी के न्याय से भागने की संभावना पर विचार करना चाहिए और आरोपी के विरुद्ध उपलब्ध सभी सामग्री का सावधानीपूर्वक मूल्यांकन करना चाहिए तथा आरोपी की यथार्थ सटीक भाषिका को भी ध्यान में रखना चाहिए।

9. मामले के सभी तथ्यों और परिस्थितियों, अग्रिम जमानत से संबंधित स्थापित विधि सिद्धांत, पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों, आरोप की प्रकृति, आवेदक की भूमिका पर विचार करते हुए और गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, अग्रिम जमानत का मामला बनता है।

10. अग्रिम जमानत आवेदन स्वीकार किया जाता है।

11. उपर्युक्त मामले अपराध में संलिप्त आवेदक आफताब अहमद की गिरफ्तारी की स्थिति में, उसे 50,000/- रुपये के व्यक्तिगत बन्धपत्र और इतना ही राशि के दो प्रतिभूओं को प्रस्तुत करने पर संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार निम्नलिखित शर्तों के साथ अग्रिम जमानत पर रिहा किया जाएगा:-

(i) आवेदक साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा और संबंधित न्यायालय द्वारा छूट दिए जाने तक प्रत्येक निर्धारित तिथि पर स्वयं या अधिवक्ता के माध्यम से विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित होगा और किसी भी प्रकार का अनुचित स्थगन नहीं मांगेगा;

(ii) आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को कोई प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगा जिससे उसे/उसकी/ उन्हें न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष ऐसे तथ्यों का खुलासा करने से रोका जा सके;

(iii) आवेदक विचारण के दौरान सहयोग करेगा और जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा।

(iv) आवेदक संबंधित न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना भारत नहीं छोड़ेगा।

12. किसी भी शर्त का उल्लंघन होने पर, अभियोजन आवेदक को दी गई अग्रिम जमानत निरस्त करने के लिए उचित आवेदन दायर करने के लिए स्वतंत्र होगा।

18 मार्च, 2026

वंदना

(न्यायमूर्ति, जितेंद्र कुमार सिन्हा)

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



Translated version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"